

देवघर समाहरणालय
(जिला भू अर्जन शाखा)

-: अधिसूचना :-

दिनांक : 6/11/18

अधिसूचना संख्या 26 / भू अ०

चूँकि झारखण्ड सरकार / समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम :- छाताकुरुम, थाना-मोहनपुर, थाना सं०-812, अंचल-मोहनपुर, जिला-देवघर में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना मोहनपुर से हंसडीहा नई रेल लाईन निर्माण परियोजना हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम- छाताकुरुम, थाना-मोहनपुर, थाना सं०-812, अंचल-मधुपुर, जिला-देवघर में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 6.805 एकड़ मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है-


क.स.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	112	रैयती	धानी-1	0.12	खुदु पांडेय वो जयकुमार पांडेय पे० भानु पांडेय कौम-ब्राह्मन, सा०-चकमा जमाबन्दी रैयत।	अर्जित दाग का अंश रकवा	अर्जित दाग का अंश रकवा	मौजा-चन्दाय न नं० 806	हीडो लावर न नं० 811
2	1	126	रैयती	धानी-2	0.01	तथैव।				
3	1	123	रैयती	बाड़ी-2	0.005	तथैव।				
4	3	113	रैयती	धानी-2	0.12	विष्णु यादव पे० लालजी महतो वो कौशलया देवी पे० लालजी महतो वो जगीया देवी पति नगदी महतो वो जगदीश यादव वो नरेश यादव पे० खेल महतो अंश समान सा० चौपामोड़।				
5	3	117	रैयती	धानी-3	0.07	तथैव।				
6	3	119	रैयती	धानी-2	0.21	तथैव।				
7	6	77	प्रधान का जोत	बांध	0.85	दीपक कुमार पांडे वो संदीप कुमार पांडे पे० दिनानाथ पांडे वो जीतेन्द्र कुमार पांडे वो धरमेन्द्र कुमार पांडेय पे० गोविन्द कुमार पांडेय अंश समान सा० चकमा।				
8	6	142	"	बांध	0.31	तथैव।				
9	6	141	"	बांध	0.33	तथैव।				
10	6	76	"	बाड़ी-2	0.48	तथैव।				
11	6	60	"	धानी-1	0.67	तथैव।				
12	6	70	"	धानी-2	0.03	तथैव।				
13	7	46	रैयती	धानी-1	0.14	सखीया देवी पति ईश्वर महतो वो मथुरा देवी पिता नागेश्वर महतो वो मनोज यादव पे० वासुदेव महतो वो नरसीह यादव पे० महेश्वर यादव अंश समान सा० पथरी।				
14	8	53	रैयती	धानी-3	0.04	तिलया देवी पति केशर महतो वो केलू महतो पे० जगु महतो अंश समान सा० देह।				
15	8	49	रैयती	धानी-2	0.17	तथैव।				
16	8	50	रैयती	धानी-2	0.14	तथैव।				

17	9	38	रैयती	धानी-2	0.12	वासुदेव महतो पे० भूटो महतो वो दिवाकर यादव पे० योगेन्द्र महतो वो गोवर्धन महतो वो दिनु महतो वो वालदेव यादव पे० शालीग्राम महतो वो गनेश यादव वो अकलू प्र० यादव वो किशन यादव अंश समान सा० हिन्डोलावरण।
18	9	114	रैयती	धानी-3	0.25	तथैव।
19	9	118	रैयती	धानी-2	0.11	तथैव।
20	9	120	रैयती	धानी-3	0.06	तथैव।
21	9	121	रैयती	बाड़ी-2	0.05	तथैव।
22	9	124	रैयती	धानी-2	0.01	तथैव।
23	11	63	रैयती	धानी-2	0.10	रेहलवा देवी पिता बनी महतो वो शुकदेव महतो वो देवनारायण महतो वो रूप नारायण महतो माता हेमावती देवी वो लालु महतो वो गिरी महतो पे० जेलाल महतो वो द्वारिका महतो वो इन्द्रजीत महतो वो बबुआ महतो वो सुधीर महतो माता धनवा देवी वो भेरो महतो माता रूकमनी देवी वो कोकड़ा महतो वो माता पनवती देवी वो कांग्रेश महतो पे० चतुर महतो वो भरत महतो पे० हरखु महतो वो दरोगी महतो वो भगलू महतो वो पुनीलाल यादव वो सोना महतो पे० हेमलाल महतो वो विश्वनाथ महतो वो सोमनाथ महतो वो खीरो महतो पे० बालेश्वर महतो वो तीलक महतो पे० शुकदेव महतो अंश समान सा० सड़मारा।
24	11	67	रैयती	धानी-1	0.35	तथैव।
25	12	139	रैयती	धानी-3	0.10	उपेन्द्र महतो पे० परन महतो सा० हिन्डोलावरण।
26	12	48	रैयती	धानी-3	0.24	तथैव।
27	12	35	रैयती		0.45	मुस्तवाहा।
28	14	64	रैयती	धानी-1	0.61	विनोद प्र० यादव वो तारणी प्र० यादव पे० भक्ति प्र० यादव वो भरत प्र० यादव पे० रवि महतो अंश समान सा० देह।
29	14	47	रैयती	धानी-2	0.05	तथैव।
30	15	73	रैयती	धानी-3	0.15	इन्दु देवी पति गौरी साह वो राम किशोर साह वो रामशंकर साह पे० रामजतन साह वो कुन्ती देवी पति जीवन साह वो गंगाधर साह अंश समान सा० हिन्डोलावरण।
31	15	74	रैयती	धानी-1	0.16	तथैव।
32	15	68	रैयती	धानी-1	0.30	तथैव।
कुल रकवा-					6.805	

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा कय/विकय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधीत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।


6/1/18
समाहर्ता-सह-उपायुक्त,
देवघर।

ज्ञापांक 26...../ भू अ0, देवघर, दिनांक 6/1/18.....

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।


प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, मोहनपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कृपा करें।


6/1/18
समाहर्ता-सह-उपायुक्त,
देवघर।